न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

मैन्यूअल प्रकरण संख्या	44/2020
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2020/00090
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	08.09.2020
निर्णय दिनांक	25.03.2021

उनवान

(1) चान्दमल पि.नारायणलाल ब्राह्मण नि.सुखामण्ड तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थी /प्रार्थीगण

बनाम

(1) श्री मदनलाल पि.दौला ब्राह्मण वगैरह नि.सुखामण्ड तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

– अप्रार्थी /अप्रार्थीगण

उपस्थित वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण	श्री पदमसिंह देथा
उपस्थित वकील अप्रार्थी / अप्रार्थीगण	श्री विवेक कुमार बम्ब

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

आदेश

(1) प्रार्थी/ प्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगणों की कब्जे काश्त भूमि में आने-जाने बाबत् रास्ता रेकार्ड में दर्ज कराने की कृपा करावें। कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है –

नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा
जाली	2075-78	48	105	1.52
			105/1	0.01

(2) प्रार्थी / प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात में आने-जाने हेतु अप्रार्थी / अप्रार्थीगणों की निम्न भूमि में से रास्ता चाहते है –

नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	भौगोलिक स्थिति
जाली	116	1.60	दक्षिणी मध्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:32:48 IST
Reason: SelfAttested

(3) प्रार्थी/प्रार्थीगणों की आराजियात में आने-जाने का [illegible] मा[illegible]त्तम व निकटतम रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है [illegible] उपयोग हेतु नहीं है। आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है।

(4) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible]र्थी / अप्रार्थीगण को जरिये नो[illegible] किया गया। सम्मन बाद तामील प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री विवेक कुमार बम्ब द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार आसीन्द की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.10.2020 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

(5) वकील प्रार्थी /प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी गयी।

सहायक कलक्टर(S.D.O.)आसीन्द

(6) वक्त बहस वकील प्रार्थी/प्रार्थीगण का कथन था कि प्रार्थी/प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने- जाने हेतु रास्ता नियमानुसार प्रतिकर के आधार पर दर्ज रेकार्ड करने का आदेश प्रदान किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थी/प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है यही निकटतम रास्ता है। तहसीलदार आसीन्द द्वारा प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

(7) बहस वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि मौका पर्चा राजस्व मण्डल के नियमों के विपरीत है। पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं है। प्रार्थी ने आवेदित आ.नं.116 के अलावा शेष चरागाह आराजी नम्बर 114,115,117 का उल्लेख नहीं किया है पटवारी रिपोर्ट में भी इसका हवाला नहीं है। रिपोर्ट तहसीलदार आसीन्द में आ.नं.70/2,71/2,72/2,73/2 में आवागमन बताया है। वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है अतः प्रार्थना-पत्र खारिज फरमावें।

(8) बहस रिपिटल वकील प्रार्थी ने कथन किया कि मौका पर्चा पर पक्षकार के हस्ताक्षर होकर मौका पर्चा राजस्व मण्डल के नियमों के अनुरूप है। पटवारी के नक्शे में भी कदिमी रास्ता प्रदर्शित है। अतः आवेदित रास्ता स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

(6) तहसीलदार आसीन्द ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि आवेदक को खेतों में आवागमन हेतु रास्ते की परम आवश्यकता है। आवेदित रास्ता मात्र सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता या उपाय उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित है।

(7) बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। रिपोर्ट तहसीलदार आसीन्द / पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी /प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता तहसीलदार आसीन्द की रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक आवश्यक प्रतीत होने तथा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से एंव प्रार्थी /प्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि के लिये की गयी रास्ते की मांग इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से न्यायालय यह उचित समझता है कि प्रार्थी /प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर आने-जाने के लिये तहसीलदार आसीन्द द्वारा प्रस्तावित रास्ता दिया जावे ताकि प्रार्थी /प्रार्थीगण अपने खेतों पर आ-जा सके तथा कृषि कार्य कर सके। तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से यह आदेश सुनाया जाता है कि –

क्रियात्मक – आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी / प्रार्थीगण के उपपंजीयक आसीन्द द्वारा निर्धारित की गयी भूमि प्रतिकर की राशि की दुगनी राशि राजकोष में अमानत मद में जमा कराने बाबत् सहमत होने से भूमि प्रतिकर की राशि जमा होने के पश्चात मौका रिपोर्ट तहसीलदार आसीन्द / संलग्न नक्शे के अनुसार निम्नांकित कृषि भूमि को अप्रार्थी / अप्रार्थीगण के खाते की भूमि में से कम की जाकर बिलानाम सरकार गै.मु.रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रार्थी/प्रार्थीगण से प्राप्त अमानत राशि का भुगतान अप्रार्थी /अप्रार्थीगणों को उनके खाते में से कम हुये रकबे के आधार पर उनके हक हिस्से के अनुपात में किये जाने के आदेश किये जाते है –

क्र.सं.	नाम ग्राम	आराजी नम्बर	कुल रकबा	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा	प्रस्तावित रास्ते की भौगोलिक स्थिति	भूमि की D.L.C. दर प्रति हेक्टर	भूमि की कुल कीमत	भूमि की दुगनी कीमत जो राजकोष के अमानत मद में जमा करायी जानी है
1	2	3	4	5	6		8	9
1	जाली	116	1.60	0.0420	दक्षिण-पश्चिम	2669[illegible]	11210	22420

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर को [illegible] आदेश आज दिनांक 25.03.2021 को खुली अदालत में सुनाया गया।

(सी.एल.शर्मा)
सहायक कलक्टर(S.D.O.) आसीन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:32:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / रीडर / 2021/ 141 दिनांक 30.3.2021

प्रतिलिपीःतहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट मय राजस्व - रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों के प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:32:48 IST
Reason: SelfAttested